न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या 1, बरेली।

पीठासीन अधिकारी : कुमारी अफशॉ,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0ओ0 कोड – यू0पी0 6164
सत्र परीक्षण संख्या 660 सन 2021

CNR No- UPBR010028142021

राज्य..... अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– गोविन्द सिंह पुत्र जसवीर सिंह।
2– जसवीर सिंह पुत्र हेमराज सिंह।
3– द्रोपदी देवी पत्नी जसवीर सिंह,
समस्त निवासीगण मुनीमजी वाली गली मढ़ीनाथ, सुभाषनगर, जिला बरेली।
.....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या 684/2020
धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0,
वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा.दं.सं.
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना सुभाषनगर, जिला बरेली।

निर्णय

1. अभियुक्तगण गोविन्द सिंह, जसवीर सिंह एवम् द्रोपदी देवी के विरूद्व थाना सुभाषनगर जिला बरेली की पुलिस द्वारा आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 498ए, 304 बी भा0दं0सं0 एवम धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त को तलब किया गया।

2. अभियुक्तगण को नकलें प्रदान कर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवम धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 26.02.2021 के आदेश से पत्रावली सत्र सुपुर्द किया गया तद्पोरान्त विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा प्रस्तुत सत्र परीक्षण इस न्यायालय को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ।

3. सक्षेंप में मामले में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा वीरपाल सिंह यादव द्वारा थाना सुभाषनगर जिला बरेली में दिनांक 14.08.2020 को समय 19.13 बजे तहरीर प्रस्तुत कर इस आशय की रिपोर्ट अंकित करायी कि दिनांक 14.08.2020 समय 12.40 पी0एम0 पर फोन द्वारा रिंकू ने सूचना दी कि आप लोग जल्दी आ जाइये, क्योंकि आपकी बेटी ने किसी कारण से फांसी लगा ली है। वादी ने आगे पूछने की कोशिश की तो फोन कट हो गया। उसके बाद वह लोग बेटी की ससुराल आये तो उन लोगो ने देखा कि उसकी बेटी साडी के द्वारा पंखे में लटकी थी जिसके पैर जमीन को छू रहे थे जिससे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी को मारकर पंखे से लटकाया गया है। उसकी बेटी नौ माह की गर्भवती थी जिसको हाल ही में बच्चा होने वाला था। उसकी बेटी को उसकी ससुराल वाले काफी दहेज सम्बंधी व अन्य कारणों से प्रताडित करते रहते थे फिर भी वादी की बेटी द्वारा लोक लाज के कारण कभी भी उन लोगो को ज्यादा नही बताया लेकिन उसकी बेटी ने शादी के दो माह बाद अपने पति के व्यवहार के सम्बंध में उसे बताया था लेकिन उस समय उन लोगो द्वारा बातचीत कर समझाया गया था लेकिन उसके बाद भी वादी के दामाद के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसकी पुत्री को प्रताडित करता रहा जिसमें वादी की बेटी की सास ससुर ने कभी भी वादी की बेटी का पक्ष नहीं लिया न ही अपने बेटे को समझाया। वादी ने अपनी बेटी की शादी लगभग 15 माह पूर्व बडी धूमधाम से क्षमता के अनुसार दहेज में नकद, धन जेवर व गाडी के लिए नकद धन देकर की थी लेकिन आज उसकी बेटी की मृत्यु में उसकी ससुराल पक्ष से ससुर, सास व पति का होना प्रतीत होता है क्योंकि जिस कारण उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे इसी कारण इन लोगों ने उसकी बेटी को मारकर पंखे से लटकाया गया है। आखिरी समय 10 अगस्त को उसकी बेटी अपने भाई नितिन के जन्म दिन पर आयी थी तभी उसकी बेटी ने अपने पति के सम्बंध में अपनी मम्मी को बताया था कि वह उसको मारता पीटता है तथा दहेज के लिए कहता है और उस पर शक करता रहता है। इस सम्बन्ध में उसकी पुत्री ने अपने सास ससुर को भी बताया परन्तु उन्होने कुछ नहीं किया और उल्टा उसके साथ ही पिटाई करते हुये धमकाया था और उसकी कोई बात नही सुनी।

4. वादी मुकद्मा वीरपाल सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सुभाषनगर, जिला बरेली में मुकदमा अपराध संख्या 684/2020, अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 दिनांक 14.08.2020 को समय 19.13 बजे अभियुक्तगण गोविन्द, जसवीर सिंह तथा द्रोपदी देवी के विरूद्व पंजीकृत की गयी और उसका खुलासा मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3 में किया गया।

5. मुकदमा कायम किये जाने के उपरान्त श्री रोहित यादव,ए0सी0एम0प्रथम, बरेली द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पंचान नियुक्त कर मृतका पूनम यादव के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–5, नमूना मोहर प्रदर्श क–6, नमूना शील प्रदर्श क–7, फोटो लाश प्रदर्श क–8, रिपोर्ट चालान शव बिच्छेदन हेतु प्रदर्श क–9, रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–10, रिपोर्ट सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–11 तैयार करते हुये शव को पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया।

6. प्रस्तुत मामले की विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक के द्वारा साक्षियों के बयानों को अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया। दौरान विवेचना मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 को प्राप्त किया। उसके उपरान्त मामले मे विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण जसवीर सिंह एवम् श्रीमती द्रोपदी देवी के विरूद्व मफरूरी

में तथा अभियुक्त गोविन्द सिंह के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवम् धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रदर्श क–13 न्यायालय प्रेषित किया।

7. अभियुक्तगण गोविन्द, जसवीर सिंह एवम् द्रोपदी के विरूद्व दिनांक 07.09.2021 को आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवम धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 विरचित किये गये। आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये गये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू 1 वीरपाल सिंह, पी0डब्लू 2 नीलम यादव, पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव, पी0डब्लू 4 कांस्टेबिल 1892 देवेन्द्र सिंह, पी0डब्लू 5 डाक्टर आशु अग्रवाल, पी0डब्लू 6 सोनू यादव, पी0डब्लू 7 रोहित यादव अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, पी0डब्लू 8 उपनिरीक्षक मोनिका चौधरी, पी0डब्लू 9 सीमा यादव पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा पी0डब्लू 10 साद मियां पुलिस उपायुक्त को परीक्षित कराया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4, शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–5, नमूना मोहर प्रदर्श क–6, नमूना शील प्रदर्श क–7, फोटो नाश प्रदर्श क–8, रिपोर्ट चालान शव बिच्छेदन हेतु प्रदर्श क–9, रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–10, रिपोर्ट सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 आरोप पत्र प्रदर्श क–13 प्रस्तुत किये गये हैं।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 1 वीरपाल सिंह** पिता मृतका ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया गया है कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगभग 12 लाख रूपये खर्च कर सम्पन्न की थी। उसकी बेटी के ससुरालीजन दिये गये दान दहेज से खुश नही थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे। मांग को लेकर दिनांक 14.08.2020 को उसकी पुत्री पूनम की उसके पति गोविन्द, ससुर जसवीर तथा द्रोपदी ने मिलकर हत्या कर दी। फोन की सूचना पर वह और उसके परिवारीजन पुत्री की ससुराल गये देखा कि उसकी पुत्री पूनम का शव बरामदे में रखा था बैड पर स्टूल रखा था पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। उसकी पुत्री 9 महीने पेट से थी। उसकी पुत्री की उसके उक्त ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी। गवाह ने तहरीर प्रदर्श क–1 को थाने पर प्रस्तुत कर मुकदमा पंजीकृत कराया। उसकी लड़की का पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 2 नीलम यादव** माता मृतका ने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ की थी। उसने अपनी बेटी पूनम की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसकी बेटी के ससुरालीजन बैगन आर गाडी के लिये परेशान करते थे तथा बैगन आर गाडी मांगते थे। गाडी नही मिली तो हम रखेगें नही और मार देंगे। दिनांक 08.10.2020 को फिर कहा दिनांक 10 अगस्त 2020 को उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने अपनी बेटी पूनम को बुलाया था लेकिन यह लोग नही आने दे रहे थे। जैसे– तैसे निहोरे करके वो आयी थी, दूसरे दिन हम लोग उसको पहुंचाने गये थे। दिनांक 14 अगस्त 2020 को समय 12.40

पर गोविन्द के दोस्त रिन्कू का फोन आया था उसने बताया था कि बेटी ने फांसी लगा ली है और आप लोग आ जाओ और इतना कहकर फोन काट दिया। वह लोग पूनम की ससुराल गये तो ससुर जसवीर, सास द्रोपदी तथा पति गोविन्द बाहर तख्त पर बैठे थे। जब उसने देखा तो उसकी बेटी पंखे से लटकी हुई खड़ी थी। पुलिस आयी और उसे उतारा तथा पोस्टमार्टम के लिये ले गयी तब उस समय उसकी बेटी पूनम 9 महीने की गर्भवती थी।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव** चचेरे चाचा ने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि मृतका पूनम यादव के पिता वीरपाल उसके चचेरे भाई हैं। उनकी पुत्री पूनम की शादी वर्ष 2019 में होली के बाद गोविन्द के साथ हुई थी। उसके भाई वीरपाल ने शादी में उपहार स्वरूप काफी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद उसके भाई वीरपाल से उसे पता चला कि पूनम के ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर उसे मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे। दिनांक 14.08.2020 को उसे फोन द्वारा उसकी भाभी से सूचना मिली कि पूनम यादव की उसके ससुरालीजन ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर वह बरेली पूनम की ससुराल पहुंचा तो देखा कि पूनम यादव का शव उसके घर के बरामदे में रखा था। वहां खड़े बहुत से लोगो से पता चला कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण व कार न मिलने के कारण पूनम के उसके ससुरालीजन ने हत्या कर दी है। मृतका पूनम का पंचायतनामा साक्षी के सामने भरा गया था पंचायतनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर किये थे।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 4 कांस्टेबिल 1892 देवेन्द्र सिंह** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 14.08.2020 को थाना सुभाषनगर में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। उस दिन वादी वीरपाल सिंह की तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 684/2020 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवम् धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम गोविन्द, जसवीर सिंह तथा द्रोपदी देवी के विरूद्व पंजीकृत किया गया और उसका खुलासा मुकदमा कायमी जी0डी0 नम्बर 38 दिनांक 14.08.2020 को समय 19.13 पर किया गया। गवाह ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 तथा कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 5 डा0 आशु अग्रवाल** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 15.08.2020 को वह जिला चिकित्सालय बरेली में तैनात था। उस दिन समय 2.45 पी.एम. पर मृतका पूनम यादव के शव का पोस्टमार्टम उसके द्वारा किया था। मृतका के शव के परीक्षण के समय मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटे पायी गयी :–

1. लिगेचर मार्क 32 सेमी X 1.5 सेमी गर्दन के सामने की तरफ ठोढ़ी से 5 सेमी नीचे दाहिने कान के लोब्यूल से 5 सेमी नीचे दाहिने कान के लोब्यूल से 7 सेमी। जिसके पीछे की तरफ लगभग 15 सेमी का गैप था। लिगेचर मार्क गर्दन की दोनो तरफ ऊपर व पीछे की तरफ जा रहा था लिगेचर मार्क की गुरूब व बेस भूरे रंग का व पार्चमेन्ट की तरह था। इसके नीचे का समक्यूरेनियस टिशू सफेद व सख्त था।

अन्ततः परीक्षण में शव के दोनो फेफड़े, यकृत, तिल्ली, पैन कियाज दोनो गुर्दे कन्जेस्टेड थे। यूटेराईन कैविटी में लगभग पूर्ण गर्भावस्था महिला शिशु 2900 ग्राम का शव था। आमाशय में लगभग 100 एम.एल. अधपचा व अनआईडेन्टीफाईड दृव्य फूड था। शव परीक्षण के पश्चात मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग एक दिन पूर्व व मृत्यु का कारण एक्सफीसिया मृत्यु पूर्व हुई हैंगिंग से होना पाया गया है। उपरोक्त पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा किया गया था जिसमें सहमति देने वाले द्वितीय चिकित्साधिकारी डा0 बृजेश कुमार

निश्चेतना विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय बरेली थे। उक्त शव परीक्षण में साक्षी के द्वारा मृतक के शव से बिसरा, आमाशय, अन्तरवस्तु, छोटी आंत का टुकड़ा, यकृत, पित्ताशय सहित प्लीहा का टुकड़ा दोनो गुर्दो के आधे टुकड़े व छोटी शीशी में नमक के पानी का नमूना टौक्रीको लौजिकल जांच हेतु प्रिजर्व किये गये व साथ आये पुलिस कां0 एल0सी0 पायल यादव को प्राप्त करा दिये गये थे। साक्षी ने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 6 सोनू यादव** मृतका के तथाकथित मामा ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि मृतका पूनम मेरी भान्जी लगती थी। पूनम का पति गोविन्द शराब पीकर उसे मारता पीटता था और कहता था कि खर्चे के लिये अपने घर से पैसे लाकर दे नही तो तुझे जान से मारने दूंगा। अब से लगभग 3 साल 11 माह पहले की घटना है। उसकी बहिन नीलम व उनके पति ने दिनांक 20.04.2019 को पूनम की शादी गोविन्द के साथ खूब दान दहेज देकर की थी। पूनम की शादी घटना से करीब सवा साल पहले की थी लेकिन पूनम के ससुराल पति, ससुर तथा सास दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही थे और दहेज की मांग में एक बैगन आर गाडी की मांग करते थे और पूनम से कहते थे कि गाडी लाकर दे नही तो तुझे घर में नही रखेंगे। दिनांक 14.08.2020 को उसकी दीदी नीलम द्वारा सूचना दी गयी कि पूनम की ससुराल वालों ने दहेज के लिये उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर वह पूनम की ससुराल पहुंचा था।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 7 रोहित यादव, अपर नगर मजिस्ट्रेट,** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 15.08.2020 को वह अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम बरेली के पद पर तैनात था। उस दिन थाने से सूचना मिली थी कि महिला पूनम यादव पत्नी गोविन्द यादव की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुंचा था वहां पर महिला एस0आई0 मोनिका चौधरी मौजूद थी। साक्षी के निर्देशन पर एस0आई0 मोनिका चौधरी ने पंचान नियुक्त कर मृतका के शव का पंचायतनामा तैयार करके पंचायतनामें की कार्यवाही समय करीब 10 बजे प्रारम्भ की गयी तथा 12 बजे समाप्त किया गया। पंचायतनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। गवाह ने पंचायतनामा प्रदर्श क–5, नमूना मोहर, नमूना शील, फोटो लाश, चालान लाश, रिपोर्ट आर.आई तथा रिपोर्ट सी.एम.ओ. प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–11 को साबित किया है।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 8 उपनिरीक्षक मोनिका चौधरी** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 14.08.2020 को पुलिस बल के साथ मय पंचायतनामा से सम्बन्धित प्रपत्र घटनास्थल मृतका पूनम यादव की ससुराल मुनीम जी वाली गली मढ़ीनाथ थाना सुभाषनगर बरेली पर गयी थी। जहां मृतका का शव बैडरूम के बाहर बरामदे में जमीन पर रखा था वहां मौजूद व्यक्ति व रिश्तेदारों ने बताया था कि दहेज की खातिर पूनम की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर उसने रोहित यादव ए0सी0एम0 प्रथम को सूचना दी जो मौके पर आ गये उनके निर्देशन में दिनांक 15.08.2020 को 10.00 बजे से प्रारम्भ कर 12.00 बजे तक कार्यवाही पूर्ण की गयी। तत्पश्चात शव को सील मोहर कर मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 9 श्रीमती सीमा यादव** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 15.08.2020 को पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात थी। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 684/2020 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0

एवम् धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना सुभाषनगर की विवेचना सुपुर्द थी उसके द्वारा साक्षियों के बयानों को अंकित किया। दौरान विवेचना वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। गवाह ने नक्शा नजरी को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया है।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू 10 साद मियां** ने शपथपूर्ण साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 23.09.2020 को सी.ओ. द्वितीय नगर के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 684/2020 धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम सरकार बनाम गोविन्द आदि की विवेचना ग्रहण की। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयानों को अंकित किया तथा साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण जसवीर सिंह, द्रौपदी देवी, गोविंद सिंह के विरूद्ध धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्त गोविंद सिंह को विरूद्ध जुर्म साबित होने पर धारा 498ए, 304बी व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण जसवीर सिंह, द्रौपदी देवी के विरूद्व मफरूरी में आरोप पत्र धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवम् धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाह ने आरोप पत्र को प्रदर्श क–13 के रूप में तथा पत्रावली में शामिल बिसरा परीक्षण रिपोर्ट के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद भेजे गये रिमाइंडर प्रपत्र जो पत्रावली पर कागज सं0 21क/1 लगायत 21क/6 शामिल हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने एफ0एस0एल0 स्मृति पत्र पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की जिन्हें गवाह ने प्रदर्श क–14 लगायत प्रदर्श क–19 के रूप में साबित किया है।

20. बाद अभियोजन साक्ष्य समाप्ति अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा गवाहान द्वारा झूठी गवाही देने का कथन किया है तथा स्वयं को झूॅठा फंसाये जाने का कथन किया गया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया है, किन्तु सफाई मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

21. मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तारपूर्वक सुना तथा बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

22. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोप वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा धारा 498ए, 304 बी भा0दं0स0 एवं विकल्पतः धारा 302 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया गया।

23. किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप में तभी दण्डादिष्ट किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष सन्देह से परे यह सिद्ध करने में सफल हो कि घटना उसी प्रकार से घटित हुयी जिस प्रकार से अभियोजन द्वारा कही गयी है। अब देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने उक्त विधिक दायित्व का निर्वहन करने में सन्देह की प्रत्येक युक्तियुक्त सीमा से परे सफल हो सका है।

24. अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को साबित करने के लिए तथ्य के साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–1 वीरपाल सिंह जो कि मृतका पूनम का पिता है, पी0डब्लू 2 नीलम यादव जो कि मृतका की माता है, पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव जो कि मृतका के चाचा है तथा पी0डब्लू06 के रूप मे सोनू यादव जो कि मृतका पूनम का मामा होना कहा गया है, को साक्ष्य मे परीक्षित कराया गया है। शेष मामले के औपचारिक साक्षीगण हैं।

25. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0–1 वीरपाल सिंह जो कि मृतका पूनम का पिता है, पी0डब्लू 2 नीलम यादव जो कि मृतका की माता है, पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव जो कि मृतका के चाचा है, तथा पी0डब्लू06 सोनू यादव जो कि मृतका पूनम का मामा लगना कहा गया है को साक्ष्य मे परीक्षत कराया गया है जो कि हितवद्ध साक्षीगण हैं। मामले मे घटना का कोई स्वतन्त्र व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी साक्ष्य मे परीक्षत नही कराया गया है तथा साक्षीगण की साक्ष्य आपस मे बिरोधाभासी है तथा उनकी साक्ष्य की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से नही होता है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

26. जबकि अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। अभियोजन द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के द्वारा मृतका जो कि नौ माह के पूर्ण गर्भावस्था में थी, की गला दबाकर दहेज की मांग पूरी न होने पर अपने घर में क्रूरतापूर्वक मारा गया है तथा नौ माह के पूर्ण गर्भावस्थ शिशु की भी हत्या की गयी है तथा शादी के दो वर्ष के भीतर ही मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु अभियुक्तगण के घर में ही हुई है। अभियुक्तगण के द्वारा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में अभियुक्तगण की मौजूदगी मे अभियुक्तगण के घर में ही हुई। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

27. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्को से अभियोजन कथानक के सम्बंध में कोई सन्देह उत्पन्न होता है। किसी निश्चायक निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रमुख तर्को की तार्किक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा करना आवश्यक एवं अनिवार्य है।

28. दहेज हत्या सम्बन्धी आरोप पर बिचार करते समय धारा 304बी भा0दं0सं0 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित तथ्यों को साबित कराये जाने का भार अभियोजन पर होता हैः–

प्रथमः यह कि पीडिता की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्ष के अन्दर हुई हो;

द्वितीयः यह कि मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई हो;

तृतीय : कथित मृत्यु से शीघ्र पहले उसके पति अथवा उसके पति के सम्बन्धियों द्वारा दहेज को लेकर उसे प्रताडित किया गया हो;

धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम मे यह उल्लिखित किया गया हैः– ''जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मॉग के लिये या उसके सम्बन्ध मे उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा

करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी''। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्थाओं **सुशील बजाज बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश 2002 एस0सी0सी0 सुर्प्रीमकोर्ट 608, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य 2009 (64) ए0सी0सी0 257 सुर्प्रीमकोर्ट, प्रेमकुमार बनाम राजस्थान राज्य 2009 (1) ए0सी0सी0 163 सुर्प्रीमकोर्ट** मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304बी भा0द0सं0 का आरोप सिद्ध करने हेतु अभियोजनपक्ष को निम्न घटको साबित करना होगा :–

1. महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक उपहति या सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुई हो,
2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो,
3. उसे उसके पति या उसके पति के किसी सम्बन्धी द्वारा क्रूरता या उत्पीडन के अधीन रखा गया है, और ऐसी क्रूरता या उत्पीडन दहेज की मॉग के सम्बन्ध मे की गयी हो।
4. ऐसी क्रूरता महिला की मृत्यु के ठीक पूर्व कारित की गयी हो,

विधि व्यवस्था **बैजनाथ व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 (98) ए0सी0सी0 333 सुर्प्रीमकोर्ट** मे माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा हेतु दहेज की मॉग को लेकर क्रूरता का साबित किया जाना आवश्यक है। धारा 304बी व धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु अभियोजनपक्ष को युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित करना होगा कि मृत्यु के ठीक पूर्व स्त्री को दहेज की मॉग को लेकर तंग किया गया था। जहॉ अभियोजन साक्ष्य से दहेज की मॉग या उत्पीडन साबित नही है। ऐसी परिस्थिति मे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विहित दहेज मृत्यु कारित करने की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध नही की जा सकती, क्योंकि इसके लिये यह दर्शित किया जाना आवश्यक है कि मृत्यु के ठीक पहले अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मॉग के लिये परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था। **मेजर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एस0सी0सी0 201** मे माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304बी भा0द0सं0 के अधीन दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को साक्ष्य से यह साबित करना होगा कि मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका को दहेज की मॉग को लेकर क्रूरता की गयी थी। **श्यामलाल बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए.आई.आर. 1997 एस0सी0सी0 सुर्प्रीमकोर्ट 1873** मे माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि धारा 304बी के सभी आवश्यक तत्व मुलजिमान के विरूद्ध अभियेाजन द्वारा सिद्ध नही किये जाते हैं तो धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन दहेज हत्या की उपधारणा नही की जा सकती।

29. वर्तमान मामले मे उपरोक्त विधिक प्रावधान को ध्यान मे रखते हुये उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में **पी0डब्लू0 1 वीरपाल सिंह** वादी मुकदमा ने भी अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि **" उसने अपनी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगभग 12 लाख रूपये खर्च कर सम्पन्न की थी। उसकी बेटी के ससुरालीजन दिये गये दान दहेज से खुश नही थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे "**। **पी0डब्लू 2 नीलम यादव** ने भी अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि **" उसकी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ की थी। उसने अपनी बेटी पूनम की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया**

था "। **पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव** ने भी सशपथ बयान में यह कथन किया है कि **" मृतका पूनम यादव के पिता वीरपाल उसके चचेरे भाई हैं। उनकी पुत्री पूनम की शादी वर्ष 2019 में होली के बाद गोविन्द के साथ हुई थी। उसके भाई वीरपाल ने शादी में उपहार स्वरूप काफी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद उसके भाई वीरपाल से उसे पता चला कि पूनम के ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर उसे मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे "**। **पी0डब्लू 6 सोनू यादव** ने भी सशपथ बयान में यह कथन किया है कि **" मृतका पूनम मेरी भान्जी लगती थी। पूनम का पति गोविन्द शराब पीकर उसे मारता पीटता था और कहता था कि खर्चे के लिये अपने घर से पैसे लाकर दे नही तो तुझे जान से मारने दूंगा "**। मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व तहरीर वादी प्रदर्श क–1 मे मृतका की मृत्यु दिनांक 14.08.2020 को समय 12.40 बजे होने का उल्लेख करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज दिनांक 14.08.2020 को ही समय 19.13 बजे दर्ज करायी गयी है। मृतका के शव का शव बिच्छेदन दिनांक 15.08.2020 को समय 02.50 पी0एम0 पर होने का उल्लेख प्रदर्श क–4 शव बिच्छेदन आख्या में पी0डब्लू 5 डा0 आशू अग्रवाल द्वारा किया गया है। अतः तथ्य के साथीगण पी0डब्लू0–1 वीरपाल, पी0डब्लू 2 नीलम यादव, पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव, पी0डब्लू 6 सोनू यादव व शव बिच्छेदन आख्या प्रदर्श क–4 के आधार पर मृतका की मृत्यु उसकी शादी से लगभग **एक वर्ष चार माह के अन्दर** अर्थात **शादी के सात वर्ष के अन्दर** होने की पुष्टि होती है जिससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात साल के अन्दर हुई है।

30. अब यह देखना है कि क्या मृतका पूनम यादव की कथित मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु थी ?

मृतका की मृत्यु उपरान्त उसके शव का मरणोत्तर परीक्षण पी0डब्लू0 4 डा0 आशू अग्रवाल द्वारा दिनांक 15.08.2020 को समय 2.50 पी0एम0 पर किया गया। मरणोत्तर परीक्षण आख्या प्रदर्श क–4 में मृतका की मृत्यु का तात्कालिक कारण एक्सफीसिया मृत्यु पूर्व हुई हैंगिंग तथा मृतका मृत्यु के समय यूटेराईन कैविटी में लगभग पूर्ण गर्भावस्था महिला शिशु 2900 ग्राम का शव भी पाया गया था। ऐसी स्थिति मे मृतका की मृत्यु को **अस्वाभाविक मृत्यु** होना माना जायेगा।

31. जहॉ तक अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज के लिये उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक प्रताडित किये जाने का अभियोग है तो उक्त तथ्य का निर्धारण अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर तय होना है। चूकि मृतका का मृत्यु कालीन बयान नही है और दहेज के बारे मे कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध नही है, इसलिये अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य से ही दहेज के लिये प्रताडित किये जाने सम्बन्धी तथ्यों पर विचार किया जाना है। इस बिन्दु पर बिचार करने के लिये अभियोजन साक्षीगण के बयान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अग्रलिखित प्रस्तरों मे मौखिक साक्ष्य के बारे मे बिचार किया जायेगा।

देविन्दर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य 2005 (53) ए0 सी0सी0–787, सुप्रीम कोर्ट, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि मृतका ही वह बेहतर व्यक्ति होगी जो दहेज की मांग के बारे में साक्ष्य दे सके। परन्तु वह जीवित नही है अतः उसके माता पिता ही वे व्यक्ति हैं जो उक्त मांग के सम्बन्ध में बेहतर साक्ष्य दे सकते हैं।

रन्जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 1, एस0सी0सी0(क्रिमिनल) 644, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि यह स्वाभाविक है कि दहेज की मांग को लेकर क्रूरता व तंग करने की घटना की जानकारी नजदीकी रिश्तेदारों को ही होगी और वे ही

इसके सम्बन्ध में बेहतर साक्ष्य दे सकते हैं। केवल स्वतंत्र साक्षी परीक्षित न होने से नजदीकी रिश्तेदारों के साक्ष्य को उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

राजिन्दर बनाम हरियाणा राज्य 2015(1) ए0सी0आर0 499, सुप्रीम कोर्ट , में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि दहेज हत्या के मामले में मृतका के पारिवारिक सदस्यों का कथन इस आधार पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वे सम्बन्धी व हितबद्ध साक्षी हैं।

अंगनू बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 आई0 रि0 1971 (सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 296 के मामले में यह विधि व्यवस्था दी है कि यदि साक्षी मृतक का सगा भाई है तो यह रिश्ता उसके साक्ष्य के मूल्य में अभिवृद्धि करेगा, क्योंकि वह सही अपराधी को दण्ड दिलाने में अभिरूचि रखेगा। अपराध में आहत के समीपी रिश्तेदार के साक्ष्य को इसलिए संदिग्ध नहीं कहा जा सकता कि उसका अभिकथन हितबद्ध था।

1978 ए0 सी0 सी0 पृष्ठ–318 नत्थू तथा अन्य बनाम स्टेट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि सगे–सम्बन्धियों के परिसाक्ष्य को सम्बन्ध के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।

32. पी0डब्लू 1 बीरपाल पुत्र महेशपाल जो कि प्रस्तुत मामलें में मृतका पूनम का पिता है जिन्हें जानकारी प्राप्त होने पर तहरीर **प्रदर्श क–1** देकर अभियोग पंजीकृत कराया तथा पी0डब्लू 2 नीलम यादव जो कि मृतका की मॉ हैं तथा पी0डब्लू03 विवेक कुमार यादव चाचा व पी0डब्लू06 सोनू यादव जो कि मृतक का मामा होना कहा गया है तथा मृतका की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसकी ससुराल गये। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये निर्देश के आलोक में अभियोजन साक्षियों का मृतका के परिवार का सदस्य होने के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को त्यज्य नही किया जा सकता बल्कि उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में न्यायालय को उनके बयानों का सजगता से विश्लेषण करना न्यायोचित होगा और उस दशा में न्यायालय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नही पाता है।

33. धारा 304बी भा0द0सं0 के अपराध को साबित करने हेतु जो उसका एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव है, वह मृतक महिला के पति या उसके पति के किसी सम्बन्धी द्वारा दहेज की मॉग के सम्बन्ध मे उसका उत्पीडन या क्रूरता महिला की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके साथ कारित की गयी हो।

34. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **दाण्डिक अपील संख्या** 3202/2014 **निर्णीत दिनांकित 01.03.2019 ललित कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य** मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा धारा 304बी भा0द0सं0 में, मात्र दहेज की मॉग होना शामिल नही है, बल्कि दहेज की मॉग अथवा उससे सम्बंधित मॉग के लिये क्रूरता व उत्पीडन होना भी आवश्यक है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **सुरेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2014 (89) ए.सी.सी. 371** मे मृत्यु से शीघ्र पूर्व शब्दों के सम्बन्ध मे यह विश्लेषण किया गया है कि मृत्यु से ठीक पूर्व शब्द धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 304बी भा0द0सं0 दोनो मे परिलक्षित होते हैं, तथा इन धाराओं मे कार्यवाही हेतु अवधारणा करने हेतु यह साबित किया जाना आवश्यक है कि क्रूरता अथवा उत्पीडन मृत्यु से शीघ्र पहले, कारित किया गया हो। अतः शीघ्र पूर्व शब्दों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। जहॉ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि मृत्यु से कितना पहले '' शीघ्र पूर्व माना जायेगा, तब यह प्रत्येक केस के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि शीघ्र पूर्व का अर्थ, तत्काल नही है। क्रूरता

व उत्पीडन अलग– अलग केसों मे भिन्न– भिन्न हो सकते हैं तथा यह लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है, जो कि अलग–अलग व्यक्तियों मे भिन्न हो सकती है। क्रूरता मानसिक अथवा शारीरिक दोनो प्रकार की हो सकती है तथा मानसिक क्रूरता के स्वयं मे अलग– अलग प्रकार हो सकते हैं। यह मौखिक रूप से भी कारित की जा सकती है तथा भावनात्मक रूप से किसी का अपमान करके अथवा मजाक उडाकर या किसी महिला को नीचा दिखाकर भी कारित हो सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि इसमे मृतका को चोट पहुंचाने की धमकी दिया जाना अथवा उसके किसी नजदीकी व्यक्ति को हानि पहुॅचाना भी शामिल हो सकता है। उसे आर्थिक रूप से मजबूर करना अथवा रोजमर्रा की जरूरतों से मरहूम करना, आने– जाने पर प्रतिबन्ध लगाना, शामिल है, तथा यह सूची पूर्ण नही है, मात्र उदाहरण के तौर पर है तथा इसको एक उदाहरणों तक ही सीमित नही माना जा सकता। इसी प्रकार शारीरिक क्रूरता के भी अलग– अलग प्रकार हो सकते हैं तथा इस प्रकार की क्रूरता तथा उससे सम्बंधित उत्पीडन मृतका के दिलो– दिमाग पर अलग– अलग प्रभाव रख सकता है तथा कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं, जो कि लम्बे समय तक रह सकते हैं। अतः शीघ्र पूर्व एक सापेक्ष टर्म है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **राजेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य 2015 (6) एस0सी0सी0 415** मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्यु से पूर्व शीघ्र को दिनो अथवा महीनो तक नही देखा जाना होता है, इसका अर्थ कदापि तत्काल की गयी क्रूरता से नही है, मात्र यह आवश्यक है कि जो दहेज की मॉग की गयी है, वह घिसी– पिटी (Stale) नही होनी चाहिये तथा विवाहिता की मृत्यु का एक लगातार कारण होना चाहिये, तथा यह मॉग क्रूरता के चलते अन्ततः विवाहित महिला की मृत्यु मे परिणीत हो गयी, इसे अभियोजन को साबित करना आवश्यक है। **बैजनाथ व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 (1) एस0सी0सी0 101** मे माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दहेज हत्या की अवधारणा मात्र तभी सक्रिय हो सकती है, जबकि यह साबित कर दिया जाये कि मृतक महिला के साथ दहेज की मॉग को लेकर क्रूरता अथवा उत्पीडन अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मॉग को लेकर कारित किया गया तथा वह उसकी मृत्यु के उचित निरन्तरता मे है।

35. वर्तमान प्रकरण मे अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार मृतका का विवाह अभियुक्त गोविन्द के साथ दिनांक 20.04.2019 को होना बचावपक्ष को स्वीकार है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व चिकित्सीय साक्ष्य से मृतका पूनम की मृत्यु दिनांक 14.08.2020 को संदिग्ध परिस्थितियो मे होना भी चिकित्सीय साक्ष्य से साबित है, जिसमें उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia था जो कि Anti Mortem Hanging था, जिसे चिकित्सक साक्षी संख्या 5 डा0 आशू अग्रवाल द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से इस बावत जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसमे बतौर पी0डब्लू01 वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 मे इस आशय की सूचना दी गयी कि उसे '' **आज दिनांक 14.08.2020 समय 12.40 पी0एम0 पर फोन द्वारा रिंकू ने सूचना दी कि आप लोग जल्दी आ जाइये, क्योंकि आपकी बेटी ने किसी कारण से फांसी लगा ली है। वादी ने आगे पूछने की कोशिश की तो फोन कट हो गया। उसके बाद वह लोग बेटी की ससुराल आये तो उन लोगो ने देखा कि उसकी बेटी साडी के द्वारा पंखे में लटकी थी जिसके पैर जमीन को छू रहे थे जिससे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी को मारकर पंखे से लटकाया गया है। उसकी बेटी नौ माह की गर्भवती थी जिसको हाल ही में बच्चा होने वाला था**''। इसी प्रकार का कथन इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा मे किया गया है, जिसमे उसने यह कथन किया है कि ''उसने अपनी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ अपनी सामर्थ्य के

अनुसार लगभग 12 लाख रूपये खर्च कर सम्पन्न की थी। उसकी बेटी के ससुरालीजन दिये गये दान दहेज से खुश नही थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे। मांग को लेकर दिनांक 14.08.2020 को उसकी पुत्री पूनम की उसके पति गोविन्द, ससुर जसवीर तथा द्रोपदी ने मिलकर हत्या कर दी। फोन की सूचना पर वह और उसके परिवारीजन पुत्री की ससुराल गये देखा कि उसकी पुत्री पूनम का शव बरामद में रखा था बैड पर स्टूल रखा था पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। उसकी पुत्री 9 महीने पेट से थी। उसकी पुत्री की उसके उक्त ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी, किया गया है''। इसी बिन्दु पर साक्षी **पी0डब्लू02 श्रीमती नीलम यादव** जो कि मृतक की माता है, ने अपने सशपथ बयान मे यह कथन किया है कि '' उसने अपनी बेटी पूनम की शादी दिनांक 20.04.2019 को गोविन्द के साथ की थी। उसने अपनी बेटी पूनम की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसकी बेटी के ससुरालीजन बैगन आर गाडी के लिये परेशान करते थे तथा बैगन आर गाडी मांगते थे। गाडी नही मिली तो हम रखेगें नही और मार देंगे। दिनांक 08.10.2020 को फिर कहा दिनांक 10 अगस्त 2020 को उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने अपनी बेटी पूनम को बुलाया था लेकिन यह लोग नही आने दे रहे थे। जैसे– तैसे निहोरे करके वो आयी थी, दूसरे दिन हम लोग उसको पहुंचाने गये थे। दिनांक 14 अगस्त 2020 को समय 12.40 पर गोविन्द के दोस्त रिन्कू का फोन आया था उसने बताया था कि बेटी ने फांसी लगा ली है और आप लोग आ जाओ और इतना कहकर फोन काट दिया। वह लोग पूनम की ससुराल गये तो ससुर जसवीर, सास द्रोपदी तथा पति गोविन्द बाहर तख्त पर बैठे थे। जब उसने देखा तो उसकी बेटी पंखे से लटकी हुई खड़ी थी। पुलिस आयी और उसे उतारा तथा पोस्टमार्टम के लिये ले गयी तब उस समय उसकी बेटी पूनम 9 महीने की गर्भवती थी''। इसी प्रकार का कथन साक्षी **पी0डब्लू 3 विवेक कुमार यादव** चचेरे चाचा ने किया है कि पूनम की शादी वर्ष 2019 में होली के बाद गोविन्द के साथ हुई थी। उसके भाई वीरपाल ने शादी में उपहार स्वरूप काफी दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद उसके भाई वीरपाल से उसे पता चला कि पूनम के ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर उसे मारते पीटते थे तथा प्रताड़ित करते थे। दिनांक 14.08.2020 को उसे फोन द्वारा उसकी भाभी से सूचना मिली कि पूनम यादव की उसके ससुरालीजन ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर वह बरेली पूनम की ससुराल पहुंचा तो देखा कि पूनम यादव का शव उसके घर के बरामदे में रखा था। वहां खड़े बहुत से लोगो से पता चला कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण व कार न मिलने के कारण पूनम के उसके ससुरालीजन ने हत्या कर दी है। इसी प्रकार का कथन एक अन्य साक्षी **पी0डब्लू06 सोनू यादव** ने भी अपनी साक्ष्य मे किया है तथा मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी ससुराल जाने का कथन किया है।

36. इस प्रकार अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षीगण के रूप मे जो साक्षीगण पी0डब्लू01 बीरपाल, पी0डब्लू02 नीलम यादव, पी0डब्लू03 विवेक कुमार यादव व पी0डब्लू06 सोनू यादव को परीक्षित कराया गया है, उनके द्वारा अपने सशपथ बयान मे मृतका की शादी अभियुक्त गोबिन्द के साथ दान– दहेज देकर होने व उसकी मृत्यु शादी के 16 माह के अन्दर होने व उसकी मृत्यु होने पर उसकी ससुराल जाने का भी कथन किया गया है। इसी प्रकार इन साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य मे मृतका को दहेज हेतु प्रताडित किये जाने का भी कथन किया गया है। इस सम्बन्ध मे साक्षी पी0डब्लू02 नीलम यादव जो कि मृतका की माता है, के द्वारा अपनी साक्ष्य मे यह भी कथन किया गया है कि उसकी पुत्री मृत्यु से ठीक 6 दिन पूर्व अर्थात दिनांक 10.08.2020 को उसके बेटे नितिन के जन्म दिन पर जब घर आयी थी, तब

उसने स्वयं के पति द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित करने व मारपीट करने के सम्बन्ध मे बताया था। यह लोग उसकी बेटी को आने नही दे रहे थे, जैसे– तैसे निहोरे करके वो आयी थी, दूसरे दिन हम लोग उसको पहुंचाने गये थे। इस प्रकार मृत्यु से ठीक चार दिन पूर्व जब मृतका अपने मायके आयी थी, तब उसके द्वारा अपनी मॉ को दहेज प्रताडना के सम्बन्ध मे अपनी मॉ को बताया गया था। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य से मृतका की **मृत्यु के ठीक पूर्व** उसे दहेज हेतु प्रताडित किये जाने का तथ्य भी उक्त साक्षी पी0डब्लू02 की साक्ष्य से साबित होता है।

37. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण मे शादी की तिथि 20.04.2019 व मृतका की मृत्यु दिनांक 14.08.2020 को होना उभयपक्ष को स्वीकृत है। ऐसी स्थिति मे शादी के मात्र 15 माह पश्चात मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल मे होना तथा मृत्यु से ठीक चार दिन पूर्व मृतका का अपने भाई के जन्मदिन पर बडी मुश्किल से आना जैसा कि साक्षी पी0डब्लू02 मृतका की माता द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि उसकी बेटी जैसे– तैसे निहोरे करके आयी थी और बाद मे अगले दिन वह लोग उसकी ससुराल पहुंचाने भी गये थे, के आधार पर मृतका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व प्रताडित करने का तथ्य साबित होता है। यहॉ यह उल्लेख करना भी समीचीन प्रतीत होता है कि कोई भी पुत्री अपने साथ घटित होने वाली किसी भी घटना के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम अपनी माता को ही ऐसे तथ्यों की सूचना देती है, जिसे वह अपना सबसे हितैषी मानती है, ऐसी स्थिति मे माता को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होना व उसके द्वारा उक्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष बताना स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा इसमे किसी भी प्रकार की कोई अतिरंजना नही है। प्रस्तुत प्रकरण मे मृतका द्वारा दिनांक 10.08.2020 को अपनी माता को उसके पति द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित करने के बावत अवगत कराया गया था। अतः इस पन्द्रह माह की अवधि मे अभियुक्त गोबिन्द द्वारा मृतका के साथ प्रताडना किये जाने की शिकायत मृतका द्वारा कई बार की गयी, यहॉ तक कि मृत्यु से चार दिन पूर्व तक भी उसे दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित किया जाना साक्ष्य से साबित है।

38. वैसे भी दहेज की प्रताडना व दहेज हत्या चहार दीवारी के अन्दर घटित होने वाली ऐसी घटना होती है, जिसका कोई उस प्रकार का प्रत्यक्ष साक्ष्य नही हो सकता, जैसा कि अन्य मामलो का होता है। इसी प्रकार का सिद्धान्त माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 1998 सुप्रीमकोर्ट 958** मे प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति मे मृतका के माता– पिता व सम्बन्धी द्वारा दी गयी साक्ष्य यदि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व कारित मृत्यु को पुष्टि करते हैं, तो उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय मानी जाती है। अतः इस सम्बन्ध मे बचावपक्ष के इस तर्क मे कोई बल प्रतीत नही होता है कि प्रस्तुत मामले मे कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मामले मे अभियुक्तगण ने अपने बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता व अन्य किसी प्रलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य मे उल्लेख नही किया है कि मृतका की मृत्यु उनके घर मे किस प्रकार घटित हुई और उनके द्वारा मात्र स्वयं को झूॅठा फंसाये जाने का जो आधार लिया गया है, वह मात्र सतही स्तर का प्रतीत होता है, जिसमे कोई तथ्यात्मक तथ्य प्रकट नही होता है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान धारा 313 द0प्र0सं0 मे यह भी कथन किया गया है कि समझौते मे रूपया न देने के कारण उन्हें झूॅठा फंसाया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नही किया गया है, क्योंकर कोई व्यक्ति अपनी नवविवाहिता पुत्री जिसकी शादी के मात्र 15 माह व्यतीत हुये हों तथा वह पूरे 09 माह के गर्भ से हो, किसी दोषी व्यक्ति को छोडकर मात्र रूपयों के कारण

अभियुक्तगण को झूॅठा फंसायेगें। अतः बचावपक्ष के उपरोक्त आरोप मे भी कोई बल प्रतीत नही होता है।

39. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू 01 द्वारा अपनी तहरीर मे यह भी उल्लेख किया गया है कि ''दिनांक 14.08.2020 समय 12.40 पी0एम0 पर फोन द्वारा रिंकू ने सूचना दी कि आप लोग जल्दी आ जाइये, क्योंकि आपकी बेटी ने किसी कारण से फांसी लगा ली है। वादी ने आगे पूछने की कोशिश की तो फोन कट हो गया। उसके बाद वह लोग बेटी की ससुराल आये तो उन लोगो ने देखा कि उसकी बेटी साडी के द्वारा पंखे में लटकी थी जिसके पैर जमीन को छू रहे थे जिससे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी को मारकर पंखे से लटकाया गया है। उसकी बेटी नौ माह की गर्भवती थी जिसको हाल ही में बच्चा होने वाला था''। इस बिन्दु पर बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा मे साक्षी पी0डब्लू01 ने पृष्ठ 13 की अंतिम से पॉचवी ऊपर की लाईनों मे यह कथन किया गया है कि '' **जब हम लोग बेटी की ससुराल आये तो देखा कि बेटी साडी के द्वारा पंखे से लटकी थी, जिसके पैर जमीन को छू रहे थे**''। इसी प्रकार का कथन साक्षी पी0डब्लू02 नीलम यादव द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 5 मे ऊपर से 14वीं लाईन मे भी यही कथन किया गया है कि '' **जब मै अपनी बेटी की ससुराल पहुंचयी तो उसकी बेटी छत के पंखे से लटकी हुई थी, पैर जमीन को छू रहे थे''।** इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू01 द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 मे किये गये कथनो की पुष्टि उसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा मे भी किया गया है तथा उक्त साक्षी के कथनो की पुष्टि साक्षी पी0डब्लू02 की साक्ष्य से भी होती है। उक्त तथ्य की पुष्टि नक्शा–नजरी प्रदर्श क–12 से भी होती है, क्योंकि जहॉ पर मृतका को मारकर लटकाया गया, वहॉ पर ऐसा कोई सामान कुर्सी– मेज आदि नही था, जिससे कि मृतका बरामदे के अन्दर छत पर ढंगे पंखा तक पहुंचकर साडी का फन्दा लगाकर लटकर आत्महत्या कर सके। इस सम्बन्ध मे शव बिच्छेदन आख्या प्रदर्श क–4 मे यह उल्लेख किया गया है कि मृतक के शव बिच्छेदन करने पर उसके शरीर पर एक लिगेचर मार्क 32 सेमी X 1.5 सेमी गर्दन के सामने की तरफ ठोढ़ी से 5 सेमी नीचे दाहिने कान के लोब्यूल से 5 सेमी नीचे दाहिने कान के लोब्यूल से 7 सेमी। जिसके पीछे की तरफ लगभग 15 सेमी का गैप था। लिगेचर मार्क गर्दन की दोनो तरफ ऊपर व पीछे की तरफ जा रहा था लिगेचर मार्क की गुरूब व बेस भूरे रंग का व पार्चमेन्ट की तरह था। इसके नीचे का समक्यूरेनियस टिशू सफेद व सख्त था। परीक्षण में शव के दोनो फेफड़े, यकृत, तिल्ली, पैन क्रियाज दोनो गुर्दे कन्जेस्टेड थे। यूटेराईन कैविटी में लगभग पूर्ण गर्भावस्था महिला शिशु 2900 ग्राम का शव था। आमाशय में लगभग 100 एम.एल. अधपचा व अनआईडेन्टीफाईड दृव्य फूड था। शव परीक्षण के पश्चात मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग एक दिन पूर्व व मृत्यु का कारण एक्सफीसिया मृत्यु पूर्व हुई हैंगिंग से होना पाया गया है, एवम् मृतका की हायड बोन टूटी नही पायी गयी है। अतः शव बिच्छेदन आख्या से मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिरिस्थितियों मे होने की पुष्टि होती है जो कि धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के अवयवों की श्रृंखला को पूर्ण करती है। चूंकि अभियोजनपक्ष द्वारा धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सिद्ध करने के लिये जो घटक आवश्यक हैं, उन सभी को सन्देह से परे साबित किया गया है।

40. जहॉ तक बचावपक्ष के इस तर्क का कथन है कि प्रस्तुत मामले मे पीडिता द्वारा मात्र अभियुक्त गोविन्द द्वारा ही दहेज की मॉग करने व प्रताडना करने का कथन किया गया है, के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 मे यह उल्लेख किया गया है कि उसकी बेटी को उसकी ससुराल वाले काफी दहेज सम्बंधी व

अन्य कारणों से प्रताडित करते रहते थे फिर भी वादी की बेटी द्वारा लोक लाज के कारण कभी भी उन लोगो को ज्यादा नही बताया लेकिन उसकी बेटी ने शादी के दो माह बाद अपने पति के व्यवहार के सम्बंध में उसे बताया था लेकिन उस समय उन लोगो द्वारा बातचीत कर समझाया गया था लेकिन उसके बाद भी वादी के दामाद के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसकी पुत्री को प्रताडित करता रहा जिसमें वादी की बेटी की **सास ससुर** ने कभी भी वादी की बेटी का पक्ष नहीं लिया न ही अपने बेटे को समझाया। वादी ने अपनी बेटी की शादी लगभग 15 माह पूर्व बडी धूमधाम से क्षमता के अनुसार दहेज में नकद, धन जेवर व गाडी के लिए नकद धन देकर की थी लेकिन आज उसकी बेटी की मृत्यु में उसकी ससुराल पक्ष से **ससुर, सास व पति** का होना प्रतीत होता है क्योंकि जिस कारण उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे इसी कारण इन लोगों ने उसकी बेटी को मारकर पंखे से लटकाया गया है। आखिरी समय 10 अगस्त को उसकी बेटी अपने भाई नितिन के जन्म दिन पर आयी थी तभी उसकी बेटी ने अपने पति के सम्बंध में अपनी मम्मी को बताया था कि वह उसको मारता पीटता है तथा दहेज के लिए कहता है और उस पर शक करता रहता है। इस सम्बन्ध में उसकी पुत्री ने अपने **सास ससुर को भी बताया परन्तु उन्होने कुछ नहीं किया और उल्टा उसके साथ ही पिटाई करते हुये धमकाया था और उसकी कोई बात नही सुनी।** इस सम्बन्ध मे साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह भी कथन किया है कि **" मॉग को लेकर दिनांक 14.08.2020 को उसकी पुत्री पूनम को उसके पति गोबिन्द, ससुर जसवीर तथा द्रोपदी ने मिलकर हत्या कर दी"।** जैसा कि तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त तहरीर मे यह अंकित किया गया है कि उसकी बेटी के ससुराल के कई कारणों से प्रताडित करते रहते थे, तथा शादी के दो माह बाद उसकी बेटी ने उसके पति के व्यवहार के सम्बन्ध मे उन्हें बताया था, तब उसे इन लोगों ने बातचीत करके समझाया था, परन्तु इसके बाद भी उनके दामाद के व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही आया और वह वादी को बेटी को प्रताडित करता रहा। यह भी अंकित किया गया है कि उनकी बेटी के सास– ससुर द्वारा कभी भी उसकी बेटी का पक्ष नही लिया गया और न ही अपने बेटे को समझाया। दिनांक 10.08.2020 के सम्बन्ध मे अंकित किया गया है कि उपरोक्त दिनांक को मृतका अपने भाई नितिन के जन्मदिन पर घर आयी थी, तब उसकी बेटी ने अपने पति के बारे मे अपनी मम्मी को बताया था, कि वह मारता– पीटता था, दहेज के लिये कहता है और उस पर शक करता है तथा अपने सास– ससुर को यह बात बतायी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नही किया, उल्टे मृतका के साथ मार– पिटाई करते हुये उसे धमकाया और उसकी कोई बात नही सुनी। साक्षी पी0डब्लू01, पी0डब्लू02 एवं पी0डब्लू03 द्वारा अपने सशपथ बयान मे इन्हीं तथ्यों की पुष्टि की गयी है, यद्यपि मुख्य परीक्षा मे कहा गया है कि पीडिता के पति गोबिन्द, ससुर जसवीर व द्रोपदीदेवी ने मिलकर हत्या कर दी, परन्तु जैसा कि उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या कारित करने का साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, अपितु मृतका के पति गोविन्द द्वारा पीडिता को प्रताडित करने, दहेज मॉगने, मारपीट करने व दहेज हत्या को बखूबी साबित किया गया है, जहॉ तक सह अभियुक्तगण जसवीर व श्रीमती द्रोपदी देवी का उक्त घटना मे संलिप्तता का प्रश्न है तो यद्यपि कि साक्ष्य मे यह बार– बार आया है कि अभियुक्तगण जसवीर व श्रीमती द्रोपदीदेवी द्वारा मृतका का कोई सहयोग नही किया गया, जबकि उसके पति गोविन्द द्वारा उसे बार–बार प्रताडित करते हुये दहेज की मॉग की गयी, तथा मृतका द्वारा शिकायत करने पर भी उल्टे उसे धमकाया गया तथा उसकी बात नही सुनी गयी। सह अभियुक्तगण जसवीर व द्रोपदी द्वारा मृतका से दहेज की मॉग की गयी हो, ऐसा अभियोजन साक्ष्य से साबित नही है और ही मृतका के माता– पिता

से अभियुक्तगण जसवीर व द्रोपदी देवी द्वारा दहेज की मॉग किये जाने का कोई आरोप है। यद्यपि यह सही है कि अभियुक्त गोबिन्द के माता– पिता होने के नाते जो कि उसी घर मे रह रहे थे, यह उनका नैतिक दायित्व था कि वह अपने पुत्र को इस प्रकार के आचरण से रोकते, जैसा कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **हंसराज बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2004 सुर्प्रीमकोर्ट 2790** मे कहा गया है कि नैतिक दायित्व एवं अपराध कारित करने मे फर्क है। वर्तमान प्रकरण मे यद्यपि उपरोक्त अभियुक्तगण जसवीर सिंह व द्रोपदीदेवी द्वारा अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नही किया गया है, परन्तु मृतका के प्रति उनके द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताडना की गयी हो, ऐसा अभियोजन साक्ष्य से साबित नही है और न ही इस बावत कोई साक्ष्य है कि उनके द्वारा अपने पुत्र को दहेज की मॉग को लेकर अपने पुत्र को मृतका के प्रति दुष्प्रेरित किया गया हो। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण जसवीर सिंह व द्रोपदीदेवी के विरूद्ध अभियोजन द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0द0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सन्देह से परे साबित नही किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों मे अभियुक्त गोविन्द के विरूद्ध धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारण करने का आधार पर्याप्त है, जिसके अनुसार अभियुक्त गोविन्द के विरूद्ध यह उपधारणा है कि उसके द्वारा मृतका पूनम की हत्या, दहेज की मॉग को लेकर की गयी क्रूरता के परिणामस्वरूप हुई है, तथा इस उपधारणा को खण्डित करने का भार अभियुक्त गोबिन्द पर है।

41. इसके अतिरिक्त मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है और न ही सफाई साक्ष्य मे ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मृतका ने आत्महत्या किन परिस्थितियों मे की। इसके अतिरिक्त बचावपक्ष ने **Plea of alibi** का भी तर्क नही लिया है कि घटना के समय वे अन्यत्र थे, बल्कि अपने बचाव मे सिर्फ यह तर्क लिया है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूॅठा फंसाया गया है।

42. धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **त्रिमुख मरोटी किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एस.सी.सी. पेज 681** मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ किसी व्यक्ति की पत्नी की हत्या की गयी हो और अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले तक मृतका के साथ उसका पति उसी आवास मे रह रहा था, जहॉ पर उसकी हत्या कारित की गयी, तो अभियुक्त को यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों मे उसकी पत्नी की हत्या की गयी। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने और स्पष्ट करते हुये यह कहा है कि यदि अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है और वह अस्वाभाविक व अविश्वसनीय पाया जाता है तो उक्त तथ्य को भी अभियुक्तगण के प्रतिकूल पढा जायेगा और उक्त परिस्थिति मे यह माना जायेगा कि मृतका के पति अथवा उसके परिवारीजन द्वारा ही कथित हत्या सम्बन्धी अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे अभियुक्त को यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियो मे मृतका की मृत्यु हुई है। जबकि प्रस्तुत मामले मे बचावपक्ष की ओर मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध मे कोई भी स्पष्टीकरण व सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध मे बचावपक्ष की ओर से एकमात्र यह कथन किया गया है कि मृतका ने आत्महत्या कारित किया, किन्तु मृतका द्वारा आत्महत्या क्यों और किन परिस्थितियो मे की गयी, इसका

कोई युक्तियुक्त सकारण स्पष्टीकरण नही दिया गया है, जबकि यह स्वाभाविक नही है कि मृतका को पति की तरफ से देखभाल व प्यार दुलार मिल रहा हो और इसके बावजूद भी उसने अपनी पढाई पूरी न होने व मानसिक बीमारी से क्षुब्ध होकर Depression मे आकर आत्महत्या कर ली। अतः इस सम्बन्ध मे बचावपक्ष द्वारा दिया गया तर्क भी बलहीन हो जाता है, कि मृतका की शादी उसकी कम उम्र अर्थात उसकी अवयस्क आयु मे कर दिये जाने व उसके सपने पूरे न होने के कारण अवसाद मे आकर आत्महत्या कर ली गयी। बचावपक्ष द्वारा अपना सम्पूर्ण जोर जिरह मे साक्षीगण से इसी बिन्दु पर दिया गया है कि अभियोजनपक्ष द्वारा मृतका की शादी कम उम्र मे कर दिये जाने के कारण व उसकी शिक्षा पूरी न होने व सपने पूरे न होने के कारण आत्महत्या की गयी है, किन्तु उनके द्वारा दहेज न मॉगने अथवा दहेज हत्या न होने के बिन्दु पर अभियोजन साक्षीगण से कोई जिरह ही नही की गयी है और न ही मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध मे कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण मौखिक साक्ष्य अथवा अभियुक्तगण के बयान धारा 313 द0प्र0सं0 मे ही दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व प्रकरण मे मृतका की मृत्यु व उसके शरीर पर आयी मृत्यु पूर्व चोट जिसमें उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia था जो कि Anti Mortem Hanging था, जिसे चिकित्सक साक्षी संख्या 5 डा0 आशू अग्रवाल द्वारा साबित किया गया है।

43. प्रस्तुत प्रकरण मे बचावपक्ष द्वारा अभियोजन साक्षीगण से की गयी जिरह, अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया कि चूंकि वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री मृतका की शादी उसकी सही उम्र को छिपाकर अवयस्कता मे कर दी गयी थी, जिस कारण मृतका अवसाद मे रहती थी। जहॉ तक मृतका की शादी उसकी उम्र को छिपाकर करने का प्रश्न है तो इस बावत लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नही है और बचावपक्ष द्वारा इस बावत न तो कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है, जिससे यह परिलक्षित होता हो कि वह विवाद के बाद अपनी ससुराल मे ना रहना चाहती हो तथा अपनी शादी के सम्बन्ध को तोडने का कोई प्रयास किया हो, बल्कि उसके द्वारा स्वयं के साथ हुये दुर्व्यवहार की शिकायत अपने मॉ– बाप से की थी।

44. प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 14.08.2020 को दिन मे 12.40 बजे घटित होने का उल्लेख करते हुये उसकी **प्रथम सूचना रिपोर्ट** भी उसी दिनांक 14.08.2020 को समय 19.13 बजे दर्ज करायी गयी है। अतः मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी तत्परता से दर्ज कराया जाना साबित होता है, जिससे भी अभियोजन कथानक को बल प्रतीत होता है, जिसमें किसी सुधार या अतिरंजना की संभावना कम हो जाती है।

45. इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे घटना का **हेतुक** दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित करने व दहेज की मॉग की प्रतिपूर्ति न होने के कारण घटना घटित होना कहा गया है, जो कि शादी की तिथि व मृत्यु तिथि व मृतका के पूरे 09 माह के गर्भवती होने पर बिना किसी कारण के किसी द्वारा क्यों आत्महत्या कर ली जायेगी, पूर्णतया साबित होता है, जिसके बचाव मे बचावपक्ष द्वारा लिया गया यह तर्क सही प्रतीत नही होता है कि **एक भारतीय नव विवाहिता महिला द्वारा जिसके द्वारा शादी के तुरन्त बाद गर्भधारण भी कर लिया गया तथा वह पूरे 09 माह के गर्भ से थी, अचानक स्वयं की कम उम्र होने व स्वयं के सपने पूरे न होने पर**

आत्महत्या की गयी, मे कोई बल प्रतीत नही होता है, और न ही मृतका के मृत्यु पूर्व अवसादग्रस्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। कोई भी महिला जब कि वह गर्भवती हो और बच्चे को जन्म देने वाली हो, वह अपने लिये भले ही प्रताडना सहन कर ले, परन्तु अपने बच्चे के लिये वह सामान्य परिस्थिति मे कोई ऐसा कदम नही उठायेगी, जो उसके अजन्मे बच्चे को हानि पहुचाये, जब तक कि असहनीय परिस्थितियॉ उसके समक्ष उत्पन्न न हो जायें और उसके समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष न रह जाये। अतः प्रकरण मे घटना का हेतुक भी तथ्य व परिस्थितियों से पूर्ण रूप से साबित होता है।

46. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष घटना का हेतुक साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गोविन्द द्वारा वादी मुकदमा पी0डब्लू01 की पुत्री मृतका पूनम से अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी और अतिरिक्त दहेज की मॉग की प्रतिपूर्ति न होने पर उसे शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका द्वारा विवश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गयी तथा अभियुक्त गोविन्द की ओर से उसके विरूद्ध धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम की अवधारणा को खण्डित करने हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से धारा–304बी भा0दं0सं0 में उल्लिखित अवयवों को साबित करने में सफल रहा है कि मृतका व अभियुक्त गोबिन्द की शादी दिनांक 20. 04.2019 को हुई थी, और मायके पक्ष वालों ने शादी के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया गया था, परन्तु अभियुक्त गोविन्द दिये गये दान– दहेज से संतुष्ट नही था तथा अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करता था। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे शादी के बाद से ही लगातार प्रताडित करता था। उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त गोविन्द द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था तथा मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व अर्थात मृत्यु दिनांक 14.08.2020 से ठीक पूर्व दिनांक 10.08.2020 को भी दहेज हेतु प्रताडित किया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष धारा–304बी भा0दं0सं0 के सभी आवश्यक तत्व को बखूबी साबित करने में सफल रहा है। जैसा की पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि औपचारिक साक्षीगण ने समस्त अभियोजन प्रपत्रों को बखूबी साबित किया है।

47. विधि व्यवस्था **कृष्णा मोची एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2002 (4)ए0 सी0सी0 1** में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा न्यायालयों के कर्तव्यों व दायित्वों के संबंध में सम्प्रेण किया गया कि न्यायालयों का कर्तव्य केवल यह नहीं है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह बरी न कर दिया जाये। अतः प्रश्नगत प्रकरण के साक्ष्यों के विश्लेषण के संबंध में विधि के इस सर्वमान्य सिद्वान्त को ध्यान में रखकर किया जाना विधानतः अपेक्षित है।

48. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य एवं विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त गोबिन्द के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूपेण सफल रहा हैं। अतः

अभियुक्त गोबिन्द को धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

जबकि उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण जसवीर सिंह व द्रोपदी देवी के विरूद्ध आरोपित आरोप धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध के अपराध के आरोप को सिद्ध किये जाने मे असफल रहा है, परिणामस्वरूप अभियुक्तगण जसवीर सिंह व द्रोपदी देवी दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

दिनांकः– 06.03.2026.

(कुमारी अफशॉ)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बरेली।

आदेश

अभियुक्त गोबिन्द को धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त गोविन्द जमानत पर है, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है और उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त करके उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

जबकि अभियुक्तगण जसवीर सिंह व श्रीमती द्रोपदी देवी को आरो अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध के अपराध के आरोप में सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अभियुक्तगण जसवीर सिंह व श्रीमती द्रोपदी देवी जमानत पर है, अतः उनके उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त करके उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण जसवीर सिंह व श्रीमती द्रोपदी देवी उपरोक्त प्रकरण में धारा 437 (ए) दं.प्र.सं. 1973 में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत अंकन 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि का एक– एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह निष्पादित करें कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है, तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें आहूत किया जाता है तो वे उपस्थित होगें तथा अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 (ए) द0 प्र0 सं0 के अर्न्तगत दाखिल बन्धपत्र व प्रतिभू निर्णय दिनॉक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

पत्रावली अभियुक्त गोविन्द को सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु दिनांक 07.03.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 06.03.2026.

(कुमारी अफशॉ)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बरेली।

07.03.2026:–

आज पत्रावली दण्ड की मात्रा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

दोषसिद्ध गोबिन्द जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। दोषसिद्ध अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0डी0जी0सी0 को सुना और दंड की मात्रा के प्रश्न पर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्रियों का पुनः गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान एडीजीसी द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त के द्वारा मृतका पूनम को शादी के एक साल चार माह बाद शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट न होने के कारण और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर उसे मृत्यु के ठीक पूर्व तक शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिस कारण उसकी मृत्यु दिनांक 14.08.2020 को हो गयी। मृतका नवविवाहिता महिला थी तथा उसके पेट मे पूरे 09 माह का गर्भ भी था, जिस कारण दो लोगों का बीभत्स तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण अन्त हो गया। अभियोजन की ओर से विधि व्यवस्था **सत्यनाराण तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,** कि0अपील सं0–1168/2005 निर्णीत दिनांक 28.10.2010 तथा **प्रीत पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,** कि0अपील सं0–520/20 निर्णीत दिनांक 14.08.2020 में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त को कठोर से कठोरतम दण्ड देकर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

दोषसिद्ध व उसके विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क मे कहा कि अभियुक्त नवयुवक है तथा उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जायेगा तथा उसकी कोई पैरवी करने वाला कोई नही है तथा इस मामले से पूर्व कभी किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है न ही उसके खिलाफ अन्य कोई मुकदमा दर्ज है। अतः उसके द्वारा कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष आरोप अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दोषसिद्ध अभियुक्त के द्वारा मृतका पूनम को शादी के एक वर्ष चार माह बाद शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट न होने के कारण और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर उसे मृत्यु के ठीक पूर्व तक शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके फलस्वरूप अंततः दिनांक 14.08.2020 को मृत्यु हो गयी तथा उक्त समय मृतका पूरे 09 माह के गर्भ से भी थी, इस प्रकार एक अजात शिशु की भी मृत्यु कारित हुई है।

इस प्रकार उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों व उसके द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त गोबिन्द जो कि मृतका का पति है, को धारा 304बी भा.दं.सं के आरोप में आजीवन कारावास, धारा–498ए भा0दं0सं0 के अपराध में तीन वर्ष के कारावास एवं मुव. 25,000/–रूपये अर्थदण्ड, व अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास, व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के

कारावास एवं मुव. 10,000/–रूपये अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने योग्य है।

<u>दण्डादेश</u>

1. दोषसिद्ध अभियुक्त गोबिन्द को सत्र परीक्षण संख्या– 660/2021 अपराध संख्या 684/2020 थाना सुभाषनगर जिला बरेली के मामले में धारा–304बी भा0दं0सं0 के अधीन आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

2. दोषसिद्ध अभियुक्त गोविन्द को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप में 3 वर्ष के कारावास तथा मु0 25,000/– रुपये (पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3. दोषसिद्ध अभियुक्त गोबिन्द को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के कारावास तथा मुव. 10,000/– (दस हजार) रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है।

4. दोषसिद्ध अभियुक्त गोबिन्द द्वारा पूर्व में इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

5. दोषसिद्ध अभियुक्त की मूल सजायें साथ साथ चलेंगी।

6. निर्णय/आदेश की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

7. दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, बरेली भेजा जाये।

दिनांकः– 07.03.2026.

(कुमारी अफशॉ)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बरेली।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर के उद्घोषित किया गया।

दिनांकः– 07.03.2026.

(कुमारी अफशॉ)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बरेली।

-

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.03.07 16:17:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court